

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
धापु बनाम सुखराम वगैरह  
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2025

20-1-2026

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। चुंकी मूल  
वाद का निस्तारण होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया  
है। इस कारण से पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से  
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली  
फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लूणी